(ग) प्रैस की व्यावसायिक प्रतिबद्धता की भावना विकसित करने; इसका स्तर उठाने तथा दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रेस का सुझाव नोट कर लिया गया है।

(ग) सरकार चाहेगी कि प्रेस की व्यावसायिक प्रतिबद्धता और उसके स्तर का विकास हो। तथापि, प्रेस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रेस परिषद् का यह दायित्व है कि वह भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाये रखे और उसमें सुधार लायें।

टी०वी० सीरियलों के पुनः प्रसारण के माप दंड

1638. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
कुमारी सईदा खातून :
श्री कपिल वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन ने 'कथासागर' सीरियल को पुनः दिखाये की घोषणा की है, यदि हां, तो इसकी कितनी किश्तें पहले ही दिखाई जा चुकी हैं तथा इस सीरियल को पुनः दिखाने के क्या कारण हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा कौन-कौन से सीरियल दिखाये गये हैं तथा किसी सीरियल को पुनः प्रसारित करने और सीरियल की किश्तों का निर्धारण करने के लिए क्या मापदण्ड हैं; और

(ग) दूरदर्शन महानिदेशालय के पास पिछले तीन वर्षों से कितने निर्माताओं के कितने-कितने सीरियल प्रसारण के अनुमोदनार्थ लम्बित पड़े हैं तथा ऐसे निर्माताओं और सीरियलों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) "कथासागर" धारावाहिक को पहले 39 कड़ियों में प्रसारित किया गया था। 'कथासागर' के निर्माता ने इस धारावाहिक को शनिवार दोपहर बाद पुनः प्रसारित करने का अनुरोध किया और दूरदर्शन ने 13 कड़ियों के लिए इसे स्वीकार कर लिया।

दूरदर्शन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, शनिवार दोपहर बाद जिन धारावाहिकों को पुनः प्रसारित किया गया है, उनके नाम इस प्रकार है:

1. शो थीम
2. एक दो तीन चार
3. दर्पण
4. आ बैल मुझे मार
5. बैरिस्टर विनोद
6. करमचन्द
7. छोटी बड़ी बातें
8. कथासागर

शनिवार के दोपहर बाद प्रसारण को लोकप्रिय बनाने के प्रयोजन से दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में इन धारावाहिकों को पुनः प्रसारित किये जाने की अनुमति देता है। पुनः प्रसारण के लिए किसी धारावाहिक पर विचार करने हेतु दूरदर्शन द्वारा अपनाये गये मानदण्ड इस प्रकार हैं।

1. धारावाहिक की लोकप्रियता और कलात्मक गुणवत्ता।

2. पुनः प्रसारण के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख।

3. निर्धारित समय पर प्रसारण हेतु निर्माता का तैयार होना।

शनिवार दोपहर बाद प्रसारण में जिन धारावाहिकों का पुनः प्रसारण के लिए अनुमोदन किया जाना है, निर्माताओं के नाम सहित उनकी सूची संलग्न विवरण अनुबंध में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों से शनिवार दोपहर बाद प्रसारण में पुनः प्रसारित होने के लिये लंबित धारावाहिक, निर्माताओं के नाम सहित।

क्रम सं०	शीर्षक	निर्माता का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	नुक्कड़	सईद मिर्जा
2.	मशहूर महल	लिटास इंडिया
3.	खानदान	आष्ट्रा टैलीकास्ट
4.	इधर ऊधर	मैसर्स कनसेप्ट
5.	खरी खरी	अमीन सयानी
6.	रिश्ते नाते	मैसर्स नूर फिल्म्स
7.	श्रीकान्त	मैसर्स नीओ फिल्म
8.	बुनियाद	सिप्पी फिल्म्स
9.	पेइंग गेस्ट	राजश्री प्रोडक्शन
10.	अदालत	मैसर्स क्रियेटिव आई
11.	आश्चर्य दीपक	मैसर्स सोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	किस्से मियां बीबी के	ए० हकिम
13.	सिंहासन बत्तीसी	विद्या सिन्हा
14.	और भी हैं राहें	सरिता सेठी
15.	खेल खेल में	मैसर्स आर्टइफक्ट फिल्म्स
16.	निर्मला	समृद्धि विजन
17.	नई दिशायें	थियेटरमेट्रिक्स प्रोडक्शन
18.	जिन्दगी	सुनील मेहता
19.	कच्ची धूप	चित्रा पालेकर
20.	नकाब	चित्रा पालेकर
21.	रथचक्र	क्रियेटिव वीडियो
22.	उड़ान	कनिवेरी प्रोडक्शन
23.	आकाश गंगा	कमलेश्वर
24.	गुलदस्ता	देवी दत्त
25.	इसी बहाने	आनन्द महेन्द्रू
26.	प्रथम प्रतिश्रुति	नीरज शर्मा
27.	कक्काजी कहिन	मैसर्स कृत-कृति
28.	जिन्दगी जिन्दगी	प्रीति बेदी
29.	राज से स्वराज	डा० निस्तार अलाना
30.	कबीर	अनिल चौधरी

1	2	3
31.	एअर होस्टेस	बिनोद पाण्डेय
32.	हक्के बक्के	मैसर्स नान-ग्रुप
33.	रजनी	वासु चटर्जी
34.	अलग	जे० बनर्जी
35.	यह जो है जिन्दगी	आर्ट कार्मशिया
36.	मंजिल अपनी अपनी	विशाल प्रोडक्शन
37.	चुनौती	अनिल चौधरी
38.	स्त्री	आष्ट्रा टेलीकास्ट
39.	घर जवांई	आष्ट्रा टेलीकास्ट
40.	बनते बिगड़ते	राकेश चौधरी
41.	गौरव	मैसर्स सोनेक्स
42.	हम लोग	मनोहर श्याम जोशी/टाइम्स एण स्पेस
43.	जीवन रेखा	मैसर्स यू०टी०वी०
44.	कान्टेक्ट क्विज	मैसर्स यू०टी०वी०
45	विक्रम बेताल	रामानन्द सागर

इन्दौर में हेमा रेंज में अधिगृहीत भूमि की प्रतिपूर्ति

1639. कुमारी सईदा खातून : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में इन्दौर जिले में हेमा रेंज के लिए अधिग्रहण की गई भूमि हेतु प्रतिपूर्ति के रूप में 15,97,92,276 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी किन्तु रक्षा मंत्रालय ने केवल 3,61,60,000 रुपये ही जमा कराये हैं जिसके कारण उन किसानों को प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था ;

(ख) पूरी धनराशि जमा न करने के क्या कारण हैं ?

(ग) पंचाट की घोषणा होने के तीन वर्ष बाद भी पूरी धनराशि जमा न करने के लिए कौन से प्राधिकारी उत्तरदायी हैं; और

(घ) क्या इसी तरह के अनेक अन्य उदाहरण हैं जो रक्षा मंत्रालय द्वारा देश में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) अधिग्रहीत भूमि की अनुमानित लागत के आधार पर इसके लिए सरकार ने 4.52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। उस समय भूमि का कब्जा लेने के लिए भूमि-अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अत्यावश्यकता खण्ड के अनुसार कार्रवाई करने का विचार था इसलिए इच्छुक व्यक्तियों की भूमि का कब्जा लेने और कलक्टर द्वारा पंचाट की घोषणा किए जाने से पूर्व उन्हें मुआवजा दिए जाने के लिए 3.6160 करोड़ रुपये की राशि जोकि अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत थी कलक्टर इन्दौर के पास जमा करा दी गई थी।

दिसम्बर 1988 में कलक्टर ने मुआवजा और पुनर्वास अनुदान के रूप में क्रमशः 15,97,92,267.50 रुपये और 3.1926 करोड़ रुपये की अदायगी का निर्णय दिया। यह राशि बहुत अधिक समझी गई थी इसलिए कोई भूमि कब्जे में नहीं ली गई।

(घ) जी, नहीं।